प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील अधिकारिता

सिविल अपील सं. 131/2020

@विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 6999 वर्ष 2017

बालकृष्ण राम

... ...अपीलार्थी(गण)

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

... ... प्रत्यार्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता

1. अनुमति प्रदत्त।

2. इस अपील में उठाए गए विषयों में से एक यह है कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष निलंम्बित सशस्त्र बल सेवाकर्मी से संबंधित मामाले में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपील सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए या उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जानी चाहिए।

3. सशस्त्र बल न्यायाधीकरण ' संक्षेप में ए.एफ.टी.' का गठन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 (एतस्मिन पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) किया गया जो सशस्त्र बलों से संबंधित सेवाकर्मियों के परिवादों और विवादों के न्याय निर्णयन हेतु एक ए.एफ.टी गठित करने के उद्देश्यों से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का अध्याय 3 न्यायाधिकरण के प्राधिकार, शक्तियों और क्षेत्राधिकार से संबंधित है अधिनियम की धारा 14(1) निम्नवत हैः–

'' सेवा मामलों में क्षेत्राधिकार शक्तियाँ और प्राधिकार – (1) इस अधिनियम में स्पष्ट अन्यथा उपबंधित के सिवाय, न्यायाधिकरण नियत दिन से उस दिन के पूर्व सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत अधिकारिता का प्रयोग कर रहें उच्च न्यायालय को छोडकर) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी सेवा मामलों के संबंध में अधिकारिता, शक्ति और प्रधिकार का प्रयोग करेंगा।"

4. धारा 15 उपबंधित करती है कि न्यायाधिकरण सैन्य न्यायालय द्वारा दिए किसी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या दण्डादेश के विरूद्ध अपील के संबंध में अधिकारिता शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

5. अधिनियम की धारा 34 निम्नवत है:–

''34. लंबित मामालें का स्थानान्तरण – (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण की स्थापना की तिथि से ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकारी सहित किसी न्यायालय के समक्ष लंबित प्रत्येक वाद या अन्य कार्यवाही ऐसा वाद या कार्यवाही है जो न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर होता है। यदि ऐसे न्यायाधिकरण के स्थापित होने की तिथि के पश्चात उसके क्षेत्राधिकार के भीतर होता है, तो उस तिथि को न्यायाधिकरण को स्थानान्तरित हो जायेगा ।

(2) किसी वाद या अन्य कार्यवाही के उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकारी समेत किसी न्यायालय से उपधारा 1 के अन्तर्गत न्यायाधिकरणको स्थानान्तरित हो जाने पर

(अ) न्यायालय या अन्य प्राधिकारी या ऐसे स्थानान्तरण के पश्चात ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही का रिकार्ड न्यायाधिकरण को अग्रेसित करेगा।

(ब) ऐसे रिकार्ड प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण ऐसे वाद या कार्यवाही पर जहाँ यथा संभव धारा 14 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अभ्यावेदन की तरह ऐसे स्थानान्तरण से पूर्व की स्थिति से ठीक पूर्व या उसके पूर्व की स्थिति से या नये सिरे से जैसा कि न्यायाधिकरण ठीक समझें कार्यवाही करेगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

6. ***भारत संघ एवं अन्य बनाम राम बरन***[1] के मामलें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने धारित किया कि अधिनियम की धारा वाक्यांश 'अन्य कार्यवाही' में लेटर्स पेटेन्ट अपील (एतस्मिन पश्चात एल.पी.ए. से संदर्भित) सहित सभी अपील सम्मलित होगी। यह कहा गया कि चूंकि न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय का परिपूरक है, न्यायाधिकरण एकल न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपील जो कि न्यायाधिकरण को स्थानान्तरित की जानी थी का न्याय निर्णयन कर सकता है।

7. हम यह कह सकते है, उत्तर प्रदेश उच्च् न्यायालय "लेटर्स पेंटेन्ट अपील उन्मूलन'' अधिनियम 1962 के अधिनियमित हो जाने के पश्चात लेटर्स पेटेन्ट अपील उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रयोज्य नही है। हालाँकि एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध खंडपीठ में विशेष अपील का उपबंध दिया गया है। उच्च न्यायालय ने धारित किया कि ' अन्य कार्यवाही' शब्द में ऐसे सभी अन्तः न्यायालयीय अपील शामिल होंगी।

8. **डब्लू एक्स सिगमैन नन्द किशोर शाहू बनाम चीफ आफ आर्मी स्टाफ**[2] के मामलें में खंडपीठ तत्पश्चचात मामले को पूर्ण पीछ को संदर्भित किया गया और पूर्ण पीठ में बहुमत से निम्न धारित कियाः–

> '' पूर्वगामी बहस के आलोक में हमारा यह सुचिंतित मत है कि सशस्त्र न्यायाधिकरण के गठन से ठीक पूर्व एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली 1952 के नियम 5 अध्याय 8 के अन्तर्गत दायर की गई लंबित विशेष अनुमति याचिका न्यायाधिकरण को स्थानान्तरण के योग्य नहीं है और राम बरन उपरोक्त के मामले में खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्णय सही विधि प्रतिपादित नही करता।''

9. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतिका द्विवेदी का दावा है कि **भारत संघ एवं अन्य बनाम मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा एवं अन्य**[3] के मामले सहित कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि ए.एफ.टी. उच्च न्यायालय के सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। उनका कथन है कि यह

1Special Appeal Defective No. 445 of 2005

2 2012 (1) ESC 386 (All); Special Appeal (Defective) No. 610 of 2002

3 (2015) 6 SCC 773

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एक तरह से अधिनियम द्वारा शासित मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्रतिस्थापित करता है और एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध एल.पी.ए. या विशेष अनुमति याचिका भी ए.एफ.टी को स्थानान्तरित की जानी चाहिए।

10. हम इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं है। अधिनियम की धारा 14(1) यथा उद्धृत स्पष्ट उपबंध करता है कि ए.एफ.टी. सर्वोच्च न्यायालय या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे उच्च न्यायालय को छोडकर सभी न्यायालयों की शक्ति का प्रयोग करेगा। धारा 34 में बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन किया गया है। इसमें कहा गया हे कि न्यायाधिकरण के स्थापित होने के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय समेंत किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही उस दिन न्यायाधिकरण को स्थानान्तरित हो जायेगी विधायिका ने स्पष्ट रूप से ए.एफ.टी को उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत प्रयोग की जानी वाली शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार नहीं दिया है। हम इस प्रश्न पर नहीं जा रहें हैं कि क्या न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता के अधीन है। लेकिन इसमें कोई संदेह नही है कि उच्च न्यायालय ए.एफ.टी. द्वारा दिए गए आदेशों के संम्बन्ध में भी अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। यह सत्य है कि चूंकि कोई अपील ए.एफ.टी के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय के पास हो, तो उच्च न्यायालय अपनी असामान्य रिट अधिकारिता का प्रयोग नही कर सकता क्योंकि एक अधिक वाँछनीय उपचार उपलब्ध रहता है। लेकिन उसका अर्थ यह नही है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता छिन गई है। किसी परिस्थित में उच्च न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध अपनी असामान्य रिट अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।

11. ऐसा धारित करते हुए, हम **एल.चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य**[4] के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का अवलंब लेते है। इस न्यायालय ने स्पष्टतः धारित किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के आधारभूत ढाँचें का हिस्सा है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में निहित न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रासंगिक हिस्सा निम्नवत हैः–

> '' 78. हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके से न्यायपलिका से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया उसके विश्लेषण से यह दिखेगा कि

4 (1997) 3SCC 261

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक गंभीर थे। उनके प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्यायपालिका अपने न्यायिक पुर्नविलोकन की व्यापक शक्ति का प्रभावी निर्वाहन करने में समर्थ हो। हालाँकि संविधान उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को विधियों को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें न्यायाधीशों की पदावधि, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति की आयु और साथ ही उच्चतर न्यायालयों में चयन की व्यवस्था का भी व्यापक प्रावधान है। ऐसे व्यापक प्रावधानों को शमिल करने के पीछे यह विश्वास प्रतीत होता है कि एसे प्रावधानों से सुसज्जित होने पर उच्चतर न्यायालय किसी भी कार्यपालिका या विधायी हस्तक्षेप के प्रयास से सुरक्षित रहेंगें।

उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों को संविधान की रक्षा का कार्य दिया गया है और इसके लिए उन्हें निर्वचन की शक्ति प्रदान की गई है। उन्हें संविधान द्वारा प्रकल्पित शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करना होता है और यह भी कि कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यों के निष्पादन में संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण न करें। इए बात को देखना उनका समान दायित्व है कि अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में बैठे लोगों द्वारा दिया गया निर्णय न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त से गलत न हो। उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक सुरक्षा, अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों या उन लोगों को जो सामान्य विधान द्वारा बनाए गए न्यायाधिकरणों में बैठे हैं, उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप दूसरे श्रेणी के न्यायाधीशों को संवैधानिक निर्वचन का कार्य का निर्वहन करने के लिए उच्चतर न्यायपलिका का परिपूरक कभी नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत इस न्यायालय को प्रदत्त विधायी कार्यों के न्यायिक पुर्नविलोकन की शक्ति संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है । जो कि उसके मूल ढाँचे का हिस्सा है। इसलिए सामान्यतः उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की विधानों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की शक्ति का कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता।

79. हमारा यह भी मानना हे कि उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई न्यायिक पर्यवेक्षण की शक्ति भी संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है। यह इसलिए है कि संविधान के निर्वचन के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्यों से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उच्च न्यायालयों को रहित करने वाली स्थिति से समान रूप से बचा जाना चाहिए।''

एल चन्द्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में से उक्त टिप्पणी से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उच्च् न्यायालय को ए.एफ.टी द्वारा दिए गए आदेशों के संबंध में न्यायिक पुर्नविलोकन शक्ति प्रदान की गई हे और यह शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

12. **एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अभित्यजन के मामले पर विचार करते हुए धारित किया कि, ऐसी शक्ति विधान या संवैधानिक संशोधन द्वारा छीनी नहीं जा सकती। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा निम्नवत है:–

"90. पहले हम उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अपवर्जन पर विचार करते हैं। हमने पहले ही धारित किया है कि, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता पूरी तरह अपवर्जित नहीं की जा सकती। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि, विधायिका के अधीन मामलों पर न्याय निर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और यह कि, उन्हें स्वयं को केवल उन मामलों तक सीमित रखना चाहिए जिसमें संवैधानिक विषय उठाए गए हों। हम इस धारा से सहमत नहीं हो सकते क्योंकि उसका परिणाम कार्यवाहियों को अलग अलग करना होगा और इससे अनावश्यक विलंब हो सकता है। यदि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो वादियों के पास संविधानिक मुद्दे उठाने का विकल्प होगा उसमें से कुछ इतने तुच्छ हो सकते हैं कि उनके लिए सीधे उच्च न्यायालय जाना अनावश्यक होगा और इसे न्यायाधिकरण की अधिकारिता का वितरण हो जाएगा। इसके अलावा उसके विशेष भागों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नियमित तौर पर

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संवैधानिक विषय पर विचार करना शामिल होता है उदाहरण के लिए सेवा विधि से संबंधित मामलों में बहुत सारे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का निर्वचन शामिल होता है। यह मानना कि संवैधानिक विषयों से संबंधित मामलों को निपटाने की न्यायाधिकरण के पास कोई शक्ति नहीं होती उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जिसके लिए उनका गठन किया गया था। दूसरी ओर से यह मानना कि ऐसे सभी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226/ 227 के अंतर्गत ऐसे उच्च न्यायालय के खंडपीठ के विषय होंगे जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायाधिकरण पड़ता है से दो उद्देश्य पूरे होंगे। संविधान के अनुच्छेद 226 /227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में निहित विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन को छोड़कर यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायाधिकरण में न्याय निर्णयन की प्रक्रिया द्वारा ऐसे छोटे–मोटे दावे छांट लिए जाएं। उच्च न्यायालय के पास मेरिट के आधार पर तर्कसंगत निर्णय का भी लाभ होगा जो मामले को अंतिम रूप से निपटाने में लाभदायक होगा।

91. हमारे समक्ष यह भी प्रतिवाद किया गया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष सुसंगत रूप से लाए गए मामलों के संदर्भ में भी उनके द्वारा जिस तरीके से न्याय दिया जाता है उससे बहुत कुछ शेष रह जाता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत मूल विधि में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अपील का उपचार इतना खर्चीला और अप्राप्य है कि वास्तविक और प्रभावी प्रतीत नहीं होता। आगे, ऐसा उपचार प्रदान करने का परिणाम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के ऐसे निर्णयों की भरमार है जिन्हें अपेक्षाकृत तुच्छ आधारों पर चुनौती दी गई है। और यह प्रथम अपीलीय न्यायालय की भूमिका निभाने के लिए बाध्य हो गया है। हमने इस आवश्यकता पर पहले ही जोर दिया है कि उच्च न्यायालयों को संविधान के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर निरीक्षण की शक्ति प्रदान की जाए। आर.के. जैन के मामले में इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह सुझाव दिया गया कि विधि के प्रश्न पर न्यायाधिकरण के निर्णय को ऐसे उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष अपील की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत वह न्यायाधिकरण पड़ता होता है। लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे कदम से मामले में काफी सुधार आया होता। उपरोक्त दोनों तर्कों को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण के सभी निर्णय चाहे संविधान के अनुच्छेद 323a या 323b के अंतर्गत या संविधान के अनुच्छेद 226/ 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट के विषय होंगे जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत विशेष न्यायाधिकरण पड़ता हो।

xxx xxx xxx

93. अन्य पहलुओं पर जाने से पहले हम क्षेत्राधिकार संबंधित विषयों को सारांश रूप में रखते हैं। न्यायाधिकरण उन मामलों की सुनवाई करने में सक्षम है जिनमें वैधानिक प्रश्नों के विपरीत को चुनौती दी गई है। हालांकि इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पूरक के रूप में कार्य नहीं कर सकते जिन्हें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत यह दायित्व दिया गया है । इस संबंध में उनका कार्य पूरक मात्र का है और न्यायाधिकरण के ऐसे निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष जांच का विषय होंगे। न्यायाधिकरण को परिणामस्वरूप अधीनस्थ विधानों एवं नियमों की शक्तियों का परीक्षण करने का भी अधिकार होगा। हालांकि न्यायाधिकरण को यह शक्ति एक महत्वपूर्ण अपवाद के अधीन होगी। न्यायाधिकरण ऐसे किसी मूल विधि की शक्ति से संबंधित प्रश्न पर विचार नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

करेंगे क्योंकि यह सुसम्मत सिद्धांत है कि न्यायाधिकरण जो कि किसी अधिनियम की निर्मिति है, उस अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में ही संबंधित उच्च न्यायालयों में सीधे जाया जा सकता है। इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय जो उन मामलों में दिए गए हैं जिन पर उनके मूल विधान के कारण उन्हें न्याय निर्णयन की शक्ति प्राप्त है, संबंधित उच्च न्यायालयों की खंडपीठ के समक्ष जांच का विषय होंगे। हम यहां पर जोड़ दें कि न्यायाधिकरण प्रथमतः विधि के ऐसे क्षेत्रों के संबंध में , जिनके लिए वे बनाए गए हैं, एकमात्र न्यायालय होंगे। इससे हमारा आशय यह है कि वादियों को उन मामलों में भी जिनमें वे वैधानिक विधायकी शक्तियों को प्रश्नांकित करते हैं (उसको छोड़ कर जिसमें उस विधान को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा न्यायाधिकरण विशेष का गठन हुआ है, को चुनौती दी गयी है) संबंधित न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को नजरअंदाज कर सीधे उच्च न्यायालय जाने का विकल्प नहीं होगा।

xxx xxx xxx

99. हमारे द्वारा अपनाई गई युक्ति के अनुसार हमारा यह मानना है कि अनुच्छेद 323–A का खंड 2 (घ) और अनुच्छेद 323–B का खंड 3(घ) जिस सीमा तक वह उच्च न्यायालयों का अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत और सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारिता का हनन करते हैं, उस सीमा तक असंवैधानिक है। अधिनियम की धारा 28 और अनुच्छेद 323–A और 323–B के तहत अधिनियमित विधानों के "अधिकारिता का हनन खंड" उस सीमा तक असंवैधानिक होंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को प्रदान की गई अधिकारिता हमारे संविधान के अलंघ्य मूल ढांचे का हिस्सा है। हालांकि इस अधिकारिता को छोड़ा नहीं जा सकता, हमारे न्यायालय और न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 32 और 226/227 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के निर्वहन में अनुपूरक भूमिका निभा सकते हैं । संविधान के अनुच्छेद 323–A और 323–B के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण विधिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में समर्थ हैं। हालांकि इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालयों की खंडपीठ के समक्ष चुनौती का विषय होंगे जिनकी अधिकारिता में संबंधित न्यायाधिकरण पड़ता है। लेकिन यह न्यायाधिकरण विधि के जिन क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं उनके संबंध में प्राथमिक न्यायालय की भांति कार्य करते रहेंगे। अतः वादियों के लिए उन मामलों में भी संबंधित न्यायाधिकरण की अधिकारिता को नजरअंदाज कर सीधे उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प नहीं होगा जिनमें वे विधिक प्रावधानों की शक्तियों को प्रश्नांकित करते हैं।(उन मामलों को छोड़कर जिनमें उन विधानों को चुनौती दी गई है जिनके तहत ऐसे न्यायाधिकरण का गठन किया गया है)। अधिनियम की धारा 5(6) वैध एवं संवैधानिक है और इसका उसी प्रकार निर्वचन किया जाना चाहिए जैसा हमने दर्शित किया है।"

13. सुश्री द्विवेदी द्वारा इस न्यायालय द्वारा **मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर अवलंब लेना गलत है । इस मामले में इस न्यायालय के समक्ष विषय यह था कि क्या एएफटी के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका स्वीकार करना न्यायोचित था । यह दो न्यायाधीशों का निर्णय था और स्पष्टतः यह **एल चंद्र कुमार (उपरोक्त)** के मामले में संवैधानिक पीठ के निर्णय को नहीं उलट सकता। खंडपीठ ने **एल चंद्र कुमार (उपरोक्त)** सहित विभिन्न निर्णय को संदर्भित करने के पश्चात अपने निष्कर्षों को प्रस्तर 36 में निम्नवत रखा:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"36. इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय का सारांश निम्नवत है :

(i) उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के द्वारा निहित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान की एक मूलभूत एवं अपरिहार्य विशेषता है और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 सहित कोई भी विधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई अधिकारिता को निरस्त या कम नहीं कर सकता।

(ii) अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की और अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता यद्यपि किसी अधिनियम के प्रावधान द्वारा सीमित नहीं की जा सकती, निश्चित ही उनमें अधिनियम के प्रावधानों में लक्षित विधायी आशय के प्रति सम्मान का भाव है और अपनी अधिकारिता का प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप करेंगे।

(iii) जब शिकायतों के निपटारे के लिए विधि द्वारा कोई वैधानिक मंच बनाया जाता है तो ऐसे विधिक व्यवस्था को नजरअंदाज कर रिट याचिका स्वीकार नहीं करना चाहिए

(iv) उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई याचिका स्वीकार नहीं करेगा यदि पीड़ित व्यक्ति को प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो या उस विधान में जिसके अंतर्गत उस कार्य की शिकायत की गई है शिकायत निवारण की व्यवस्था विहित हो । इस न्यायालय ने यह धारित किया की यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति संविधान की एक अनिवार्य आधारभूत विशेषता है जो छीनी नहीं जा सकती, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई याचिका नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्वीकार करना चाहिए यदि पीड़ित व्यक्ति को प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो या जिसके अंतर्गत किसी कार्य की शिकायत की गई है, शिकायत के निवारण की कोई विधि विहित हो। निर्णय के निर्देश (iii) और (iv) के सही होने में हमें संदेह है क्योंकि हमारे मत में यह संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जाता है।

14. यह कहना प्रासंगिक होगा कि यह सिद्धांत कि जब वांछनीय वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हों तो उच्च न्यायालय को अपनी असाधारण रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धिमत्ता का नियम है विधि का नहीं। रिट न्यायालय सामान्यतः अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से बचते हैं यदि याची के पास वांछित वैकल्पिक उपचार हो। ऐसे उपचार के अस्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता चली गई है। साथ ही यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो तो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए।[5] वैकल्पिक उपचार का नियम दिशा का नियम है अधिकारिता का नहीं। केवल इसलिए कि न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि इसकी कोई अधिकारिता नहीं है। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें एएफटी के द्वारा की गई स्पष्ट विधिहीनता के कारण उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग न्यायोचित होगा। यह भी स्मरण रहे कि वैकल्पिक उपचार प्रभावी होना चाहिए और गैर कमीशन ऑफिसर (NCO) कनिष्ठ कमीशन ऑफिसर (JCO) के मामलों में ऐसे व्यक्ति से प्रत्येक मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने की अपेक्षा करना न्यायोचित नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय जाना साधारण वादी के लिए अत्यंत कठिन और आर्थिक पहुंच के बाहर होता है। इसलिए प्रत्येक मामले में विशिष्ट तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में उच्च न्यायालय को ही यह निर्धारण करना होगा कि इसे अपनी असाधारण रिट

5 Union of India VS. T.R. Varma AIR 1957 SC 882

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। ऐसी अधिकारिता के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसका अर्थ यह होगा कि रिट न्यायालय की ऐसी रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने की अधिकारिता छिन गई है जोकि **एल चंद्रकुमार (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित विधि नहीं है।

15. सुश्री द्विवेदी ने मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा के मामले में की गई टिप्पणी का अवलंब लिया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण की अधिकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जहां तक यह लोगों की सेवाओं की स्थिति से संबंधित वाद के बारे में है, उच्च न्यायालय और सिविल कोर्ट की अधिकारिता के पूरक के रूप में होगी। यह स्पष्ट है कि न्यायालय का आशय यह मानना नहीं था कि न्यायाधिकरण अपनी रिट अधिकारिता के संबंध में उच्च न्यायालय का परिपूरक है क्योंकि वह अधिनियम की धारा 14 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से निःसृत है। हम यह एक वाक्य संदर्भ से नहीं पढ़ सकते। यह सत्य है कि रिट अधिकारिता के प्रयोग में भी मूल पक्ष की कार्यवाही एएफ़टी द्वारा निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि मूल अधिकारिता अब एएफटी में निहित है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह उच्च न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

16. **रोजर मैथ्यू बनाम दक्षिण भारतीय बैंक लिमिटेड एवं अन्य**[6] के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ (जिसमें हम में से एक न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एक सदस्य थे) ने स्पष्ट आधारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 323–A और अनुच्छेद 323–B के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं लेकिन वे सर्वोच्च

6 2019 (15) SCALE 615

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय या उच्च न्यायालय की बराबरी नहीं कर सकते। निम्नलिखित टिप्पणी प्रासंगिक है :–

> "194. आगे, यद्यपि कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 323–A और 323–B के अंतर्गत स्थापित ऐसे न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की बराबरी नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के एक बार अवकाश प्राप्त हो जाने पर और उसके पास संवैधानिक स्तर न रह जाने पर उसके द्वारा धारित पद की उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पिछले पद से बराबरी नहीं की जा सकती। अतः संवैधानिक न्यायाधीशों का पद गरिमा और रैंक स्वतः स्फूर्त है और पदानुक्रम या वेतन विशेषाधिकारों की वजह से नहीं है। अपितु उन्हें प्रदत्त संवैधानिक निष्ठा का परिणाम है। संवैधानिक न्यायाधीशों के स्तर का न्यायाधिकरण के सदस्यों को दिया जाना संवैधानिक योजना के साथ ज्यादती होगी।"

17. यदि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो यह न्यायिक स्वतंत्रता के जड़ पर प्रहार के समान होगा और यह उच्च न्यायालय को एएफ़टी के अधीन बना देगा जो कभी भी विधायिका का उद्देश्य नहीं हो सकता । उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हुआ है और यह अनुच्छेद 215 के अर्थों में अभिलेख न्यायालय है। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य मंच पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अंतर न्यायालयीय अपील चाहे लेटर्स पेटेंट अपील के माध्यम से हो या विशेष अधिनियम के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था होती है जो उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय को सही करने के लिए उपबंधित

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया गया है जो एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो। ऐसा निर्णय खंडपीठ के समक्ष चुनौती के योग्य होता है। खंडपीठ में ऐसी अपील सभी मामलों में नहीं होती और इसे या तो लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत होना चाहिए या किसी विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत। ऐसी अपील जहां की जाती है वहां भी इसे उच्च न्यायालय के दो या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा सुना जाता है। हम ऐसी स्थिति कल्पना नहीं कर सकते जहां उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश और एक अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी वाले न्यायाधिकरण द्वारा की जाती हो। इसलिए हम यह तर्क अस्वीकार करते हैं कि उच्च न्यायालय में विलंबित ऐसी अपील जो उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश के निर्णय से खंडपीठ में की गई हो, अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत स्थानांतरित की जानी चाहिए।

18. जहां तक मामले के गुणावगुण का संबंध है, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी एप्टिट्यूड टेस्ट पास नहीं कर पाया। यह कहा गया है कि चाहे वह एप्टिट्यूड टेस्ट भले ही न पास कर पाया हो, उसे सेवा मुक्त किए जाने से पहले किसी अन्य पद पर नियुक्त करने के लिए विचार करना था। यह भी कहा गया है कि सेवा मुक्त करने के आदेश में यह नहीं दर्शित किया गया है कि अपीलार्थी के मामले में वैकल्पिक सेवा पर विचार किया गया या नहीं।

19. हमारे विचार से सेवामुक्ति के आदेश में यह दर्शित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसा विचार किया गया या नहीं। मामले के तथ्यों से हम यह पाते हैं कि सेवामुक्त करने के पहले अपीलार्थी के नाम पर दो श्रेणियों में विचार किया गया लेकिन दुर्भाग्य से अपीलार्थी किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए लंबाई मापदंड को पूरा नहीं कर पाया। इस प्रकार स्पष्ट दिखता है कि उनके मामले पर नीतियों के अंतर्गत विचार किया गया लेकिन वह किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इस आलोक में हमें अपील में कोई भी मेरिट नहीं दिखती और इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। लंबित अभ्यावेदन, यदि कोई, निस्तारित किए जाते हैं।

... ...

(न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता)

... ...

(न्यायमूर्ति अनिरूद्ध घोष)

नई दिल्ली

जनवरी 09, 2020

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।